

ट्रंप-शी वार्ता - कूटनीति की चमक में छिपी प्रतिस्पर्धा



डॉ. ब्रह्मदीप अल्लु (अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ)

चीन की राजधानी बीजिंग के केंद्र में स्थित ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ मंच पर दिखाई दिए, तो यह दृश्य केवल एक राजनयिक औपचारिकता नहीं था, यह उस वैश्विक शक्ति-संतुलन का प्रतीक था जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्तियां एक-दूसरे के सामने सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों की स्थिति में खड़ी हैं। बच्चों द्वारा दोनों देशों के झंडे लहराना, तालियों की गूंज और गर्मजोशी भरा स्वागत यह संकेत दे रहा था मानो दो पुराने साझेदार फिर से साथ आ रहे हों। लेकिन इस चमकदार कूटनीतिक वातावरण के पीछे गहरे अविश्वास, सामरिक प्रतिस्पर्धा और अर्निशठताओं की लंबी परछाईं भी मौजूद थीं। ट्रंप की बाद यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि 2017 के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की यह पहली चीन यात्रा थी। दुनिया को उम्मीद थी कि इस मुलाकात से वैश्विक व्यापार, ताइवान संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टैरिफ युद्ध और ईरान जैसे मुद्दों पर कोई नई दिशा निकलेगी। लेकिन यात्रा समाप्त होने के बाद जितने प्रश्न थे, उतने ही रहस्य भी बने रहे। न कोई संयुक्त बयान जारी हुआ, न किसी व्यापक समझौते की घोषणा हुई और न ही दोनों देशों ने किसी ठोस रणनीतिक सहमति का संकेत दिया।

इससे स्पष्ट हुआ कि अमेरिका और चीन के बीच संबंध अब केवल व्यापारिक नहीं रहे, बल्कि वे एक जटिल भू-राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुके हैं। एक समय यात्रा अमेरिका और चीन के संबंध में मुख्यतः आर्थिक सहयोग पर आधारित थी। अमेरिका को चीन में सस्ता उत्पादन केंद्र दिखाई देता था और चीन को अमेरिका के विशाल बाजार तथा तकनीकी निवेश की



आवश्यकता थी। इसी परस्पर निर्भरता ने चीन को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद की। लेकिन पिछले एक दशक में यह संबंध सहयोग से अधिक प्रतिस्पर्धा में बदल गया है। अमेरिका अब चीन को केवल व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि अपने वैश्विक वर्चस्व के सबसे बड़े चुनौतीकर्ता के रूप में देखता है। वहीं चीन भी अब अमेरिकी नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच चुका है। दक्षिण चीन सागर, ताइवान, सेमीकंडक्टर तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप की चीन यात्रा को देखना जाना चाहिए, सतह पर भले ही मित्रता और सहयोग का वातावरण दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि दोनों देश अपने-अपने हितों की रक्षा करते हुए केवल संवाद बनाए रखना चाहते थे।

इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संकेत ईरान के संदर्भ में देखने को मिला। ट्रंप ने यह संकेत दिया कि अमेरिका चीन

की उन रिफाइनरियों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे सकता है जो ईरान के साथ व्यापार करती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि हाल के वर्षों में अमेरिका ने ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के लिए चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। चीन वर्तमान में ईरान के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से एक है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन लगातार ईरानी तेल खरीदता रहा है। ऐसे में ट्रंप का नरम संकेत यह दर्शाता है कि अमेरिका अब केवल दंडात्मक नीति से आगे बढ़कर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए चीन के सहयोग की आवश्यकता महसूस कर रहा है। यह अमेरिकी यथार्थवाद का उदाहरण भी है।

अमेरिका जानता है कि मध्य-पूर्व में स्थिरता बनाए रखने के लिए चीन की भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर चीन भी स्वयं को वैश्विक मध्यस्थ और जिम्मेदार शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। ट्रंप की यात्रा से वैश्विक बाजारों को बड़ी

उम्मीदें थीं, अमेरिकी कृषि क्षेत्र और विमानन उद्योग को आशा थी कि चीन बड़े पैमाने पर खरीद समझौते करेगा। ट्रंप ने चीन द्वारा 200 बोइंग जेट खरीदने की घोषणा अवश्य की, लेकिन यह अपेक्षित स्तर का व्यापक आर्थिक समझौता नहीं बन पाया। अमेरिकी कृषि उत्पादों को लेकर कोई ठोस समझौता सामने नहीं आया। इसी का परिणाम है कि अमेरिकी बाजार में सोयाबीन वायदा कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इससे यह स्पष्ट हुआ कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक अविश्वास अभी भी गहरा है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका चीन पर अनुचित व्यापारिक व्यवहार, बौद्धिक संपदा चोरी और बाजार नियंत्रण के आरोप लगाता है, जबकि चीन अमेरिकी टैरिफ और तकनीकी प्रतिबंधों को अपनी आर्थिक प्रगति रोकने का प्रयास मानता है।

इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा ताइवान था। ताइवान चीन और अमेरिका के संबंधों को सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग से भी उसे अपने नियंत्रण में लाने की बात करता है। वहीं अमेरिका की रणनीतिक अस्पष्टता अभी भी जारी है। वह ताइवान को प्रत्यक्ष समर्थन तो नहीं देता, लेकिन उसकी सुरक्षा और सैन्य क्षमता को मजबूत करता रहता है। ट्रंप ने चीन यात्रा के दौरान ताइवान के मुद्दे पर लगभग मौन बनाए रखा। यही मौन स्वयं में एक कूटनीतिक संदेश था। अमेरिका जानता है कि ताइवान पर अत्यधिक स्पष्टता चीन को उकसा सकती है, जबकि अत्यधिक नरमी ताइवान और अमेरिकी सहयोगियों में असुरक्षा पैदा कर सकती है। इसलिए ट्रंप ने पारंपरिक अमेरिकी रणनीतिक अस्पष्टता को बनाए रखने का प्रयास किया। विश्व की सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीक का बड़ा हिस्सा ताइवान में निर्मित होता है।

यदि चीन ताइवान पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो

ट्रंप की चीन यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका और चीन के बीच संबंध अब केवल व्यापार या कूटनीति तक सीमित नहीं हैं। यह 21वीं सदी की उस वैश्विक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है जिसमें आर्थिक शक्ति, तकनीकी श्रेष्ठता, सैन्य प्रभाव और वैचारिक नेतृत्व सभी शामिल हैं। दोनों देशों ने संवाद जारी रखने की इच्छा अवश्य दिखाई, लेकिन किसी बड़े समझौते का अभाव यह संकेत देता है कि उनके बीच अविश्वास अभी भी गहरा है। ताइवान, व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ईरान जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दुनिया की स्थिरता अब काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका और चीन अपने मतभेदों को संवाद के माध्यम से नियंत्रित कर पाते हैं या नहीं। बहरहाल ट्रंप की वीजिंग यात्रा के बाद भी हार्मूज पर संशय बरकरार है जिससे पता चलता है कि ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में बजता अमेरिकी राष्ट्रपति और मुस्कराते चेहरे दुनिया को आशा का संदेश अवश्य दे रहे थे, लेकिन कूटनीतिक मुस्कराओं के पीछे छिपी शक्ति-प्रतिस्पर्धा यह भी बता रही थी कि आने वाला समय सहयोग से अधिक सामरिक संतुलन और प्रतिस्पर्धा का ही होगा।

वैश्विक तकनीकी और आर्थिक संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देश यह बखूबी जानते हैं और वे ताइवान पर चीन का आधिपत्य होने देना नहीं चाहेंगे। अमेरिका चीन की तकनीकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है जबकि चीन आर्मानिभर तकनीकी विकास पर जोर दे रहा है। सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। आने वाला भविष्य तकनीकी श्रेष्ठता का है इसलिए अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी सहयोग की संभावना सीमित दिखाई देती है। वे संवाद जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा समाप्त होने की संभावना बहुत कम है।

व्यंग्य अब फिट बनेगा इंडिया ...!



रवि उपाध्याय (लेखक व्यंग्यकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

देशवासियों का यह सौभाग्य है कि सन् 2014 के बाद देश में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो लोगों की सेहत को लेकर जितनी चिंतित है, ऐसी चिंता इसके पहले किसी सरकार ने रखी हो याद नहीं आता है। लोगों की सेहत को देखते हुए हमारी सरकार ने 15 मई को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का जो शानदार फैसला किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। विपक्षी नेता इसकी लाख आलोचना करें लेकिन यह निर्णय देश को फिट बनाने वाला साबित होगा। जब देश होगा फिट, तभी तो इंडिया बनेगा हिट।

यदि आपको हमारी बात पर भरोसा न हो तो लिख कर ले लो। इन दिनों गारंटी लिख कर देने का चलन है। नेता लोग भी इन दिनों लिख कर देने की बात इसलिए करने लगे हैं कि वह खुद जानते हैं कि जनता की नजर में उनकी क्रेडिटबिलिटी कितनी है। मतदाताओं को अब नेताओं की जुबान पर भरोसा नहीं बचा है। तभी तो नेता गुण चुनौती मंचों पर अब गारंटी देने की बात करने लगे, वैसे यह माना जाता है कि जिस चीज पर गारंटी दी जाती है। इस की गुणवत्ता पर वस्तु के निर्माता को भी संशय होता है।

देश का मानना है कि पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़ा कर सरकार ने शानदार काम किया है। इससे उपभोक्ता की सेहत तो सुधरेगी ही सरकार की सेहत भी स्ट्रॉंग होगी। सरकार की सेहत इस दृष्टि मजबूत होगी कि सरकार के खजाने पर घाटे का बोझ भी कम होगा। वहीं जनता की सेहत इसलिए एतना टन होगी कि वह अन्न थोड़ी बहुत दूर जाने के लिए स्कूटी छोड़ कर पैदल चलने को प्रेरित होगी। इस तरह पैदल चलने से देशवासी फिट होंगे। इससे देश को सेहतमंद बनाने में भी मदद मिलेगी। इससे फिट बनेगा इंडिया तभी तो हिट बनेगा इंडिया।

याद दिला दें कि अच्छी सेहत के लिए डॉक्टरों, वैद्य, हकीम सभी पैदल चलने की सलाह देते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने पर विपक्षी नेता फालतू हयातीबा मचा रहे हैं। भाई साहब मोदी जी तो डॉक्टरों, हकीम और वैद्यों की सलाह को ही इंग्लैट कर रहे हैं। हमारे ऋग्वेद के एक ग्रंथ में सेहत और विकास का मूल मंत्र दिया गया है, चरैवेति चरैवेति। इसका अर्थ चलते रहो, चलते रहो। सरकार यही करना रही है। लोगों को पैदल चलने के लिए प्रेरित कर रही है। पैदल चलना सबसे बेहतर व्यायाम माना जाता है। हमें भरोसा है कि सरकार एक दिन पूरे देश को सड़कों पर लाने और उन्हें पैदल चलाने को मजबूर करे के ही दम लेगी। ऐसा चाहे राजी खुशी हो या मजबूरी में ही क्यों न हो। होगा जरूर होगा। विपक्ष तो वैसे भी सड़कों पर आ ही गया है। बची थीं दीदी तो भी इन दिनों सड़कों पर आ गई हैं। दूसरे बाई बिल्डर विपक्ष नेता दुनिया भर में चक्कर लगा लगा डॉक्टरों से मोदी रूपी सियासी महामारी से मुक्ति को दवा पूछ रहे हैं। ये बाई बिल्डर नेता ने खुद भले ही सिक्स पैक बना लिए हों पर उनकी पार्टी जर्जरवस्था में है। जिस रोज से मोदी जी देश के प्रथम सेवक बने हैं तभी से वे देश के युवाओं और बूढ़े-सयानों की सेहत को लेकर फिक्क मंद हैं। तभी तो उन्होंने युवाओं से बुजुर्गों और बाई बहनों से कहा कि वह नियमित रूप से योग किया करें। मोदी जी बड़े दूर दृष्टि वाले नेता हैं। जहां अन्य नेताओं की सोच समाप्त होती है वहीं से उन की सोच शुरू होती है। उन्हें रेत में से भी तेल निकालने की महारत हासिल है। वैसे तेल निकालने की कला उन्हें पूर्वजों से हस्तांतरित हुई लगती है। इसी कला का असर है कि महंगाई के चलते जनता का तेल निकला जा रहा है। इससे लोगों की फालतू चर्चा पिघल रही है। रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है।

यह चमत्कार भी देखिए कि करोड़ों रुपए के मालिक विपक्ष के नेता महंगाई को लेकर अपना सिर पीट रहे हैं। लेकिन मजाल है कि जनता के भाल पर जरा सी भी शिकन आई हो। जनता इसके बाद भी खुश है कि चलो पेट्रोल डीजल के भाव में तीन रुपए लीटर की ही वृद्धि हुई। यदि पांच रुपए भी बढ़ जाते क्या कर लेते। अब कौन से चुनाव होने हैं। मंगल गीत गाओ कि वो तो सरकार ने पेट्रोल डीजल के भाव में तीन रुपए लीटर ही बढ़ाए हैं चार नहीं। वैसे भी तीन को तीन तिगा ?। काम बिगाड़ा कहा जाता है। तो भाइयों केवल तीन रुपए बढ़ाने का राज यह है कि देश में भाजपा का परचम दक्षिण के राज्यों को छोड़कर तीनों दिशाओं पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा में फहरा रहा है। यदि भाजपा दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरलम के विधानसभा चुनावों में जीत पाई होती तो पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि तीन रुपए की नहीं चार रुपए की होती। इस तरह दक्षिण के राज्यों ने देश की जनता को एक रुपए लीटर का फायदा करवाया है।

पुराने अनुभव, नई चुनौतियां और हमारी जिम्मेदारी



डॉ दिलीप सिंह

भारत एक प्राचीन और समृद्ध सभ्यता का देश रहा है। हमारे पूर्वजों ने इस भूमि को अपनी मेहनत, नैतिक मूल्यों और प्रकृति के अनुरूप जीवन जीकर समृद्ध बनाया। किसी भी देश की असली ताकत उसके नियम और उसके लोगों के मूल्यों पर निर्भर करती है। जब कानून सबको समान मानते हैं और समाज में समानता का भाव होता है, तभी वास्तविक विकास संभव होता है।

आज हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न और विदेशी मुद्रा दोनों हैं। अब जरूरत है कि हम दीर्घकालिक नीतिगत निर्णय लें, ताकि भविष्य में आने वाले किसी भी आर्थिक झटके का सामना किया जा सके। इसके लिए संपत्ति कर लागू करना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं समान शिक्षा का संवादा देना जरूरी है, जिससे संसाधनों के दुरुपयोग को कम किया जा सके और आय के नए स्रोत (जैसे विदेशों से आने वाली कर्माई) बढ़ाए जा सकें। अंत में, लोग हमेशा व्यवहार से सीखते हैं। इसलिए जो भी नेता सादगी या खर्च में कटौती के उपायों की घोषणा करता है, उसे सबसे पहले खुद अपने जीवन में उर्हें लागू कर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

आज हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न और विदेशी मुद्रा दोनों हैं। अब जरूरत है कि हम दीर्घकालिक नीतिगत निर्णय लें, ताकि भविष्य में आने वाले किसी भी आर्थिक झटके का सामना किया जा सके। इसके लिए संपत्ति कर लागू करना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं समान शिक्षा का संवादा देना जरूरी है, जिससे संसाधनों के दुरुपयोग को कम किया जा सके और आय के नए स्रोत (जैसे विदेशों से आने वाली कर्माई) बढ़ाए जा सकें। अंत में, लोग हमेशा व्यवहार से सीखते हैं। इसलिए जो भी नेता सादगी या खर्च में कटौती के उपायों की घोषणा करता है, उसे सबसे पहले खुद अपने जीवन में उर्हें लागू कर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

करना पड़ा। उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सख्त कदम उठाए। उन्होंने राशनिंग व्यवस्था को मजबूत किया और देशवासियों से सप्ताह में एक दिन रात का भोजन छोड़ने की अपील की। यहां तक कि होटलों को भी सोमवार की शाम भोजन न परोसने के लिए कहा गया। यह कदम कठिन जरूर था, लेकिन देहाहित में आवश्यक था। इसी प्रकार, 1990 के खाड़ी संकट के दौरान प्रधानमंत्री पी. वी. सिंह ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर नियंत्रण लगाया और पेट्रोलियम उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद भी सरकार ने खर्चों में कटौती के लिए सादगी के उपाय अपनाए। मॉर्निंग को हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास में सफर करने, पांच सितारा होटलों से बचने और री-जरूरी खर्च कम करने के निर्देश दिए गए।

वर्तमान सरकार ने 10 एप्रै 2026 को कुछ सख्ती के उपायों की घोषणा की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम वास्तव में लागू नहीं किया गया है। सरकार को चाहिए कि वह सोना और चांदी जैसे कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करे, ताकि सोने के आयात को कम किया जा सके और विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) की बचत हो। क्योंकि भारत के कुल आयात का लगभग एक-तिहाई हिस्सा सोना, कच्चा तेल और खाद्य तेल पर खर्च होता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का चालू खाता घाटा जोडीपी के एक प्रतिशत से कम है, लेकिन यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया और निर्यात में गिरावट जारी रही, तो यह 2026-27 में दोगुना हो सकता है। वर्तमान में हमारे पास 10 महीनों से अधिक के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। इसका मतलब है कि हमारी स्थिति 1965 या 1990 की तुलना में बेहतर है। फिर भी, हम आय और संपत्ति की असमानता को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाए हैं।

देश का नया अन्न भंडार बनता मध्यप्रदेश

(पंजाब-हरियाणा के वर्चस्व को चुनौती, किसान हितों की नई राजनीति गढ़ रहे डॉ मोहन यादव)



कृष्णमोहन झा

देश में जब भी सरकारी गेहूं खरीदी की चर्चा होती थी तो सबसे पहले पंजाब और हरियाणा का नाम लिया जाता था। नरिंह क्रांति के बाद इन दोनों राज्यों ने दशकों तक देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ के रूप में अपनी भूमिका निभाई। बाद के वर्षों में राजस्थान और उत्तरप्रदेश भी इस व्यवस्था का हिस्सा बने, लेकिन आज जिस राज्य ने सबसे तेजी से अपनी स्थिति मजबूत की है, वह मध्यप्रदेश है। 110 मई 2026 तक मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे केवल प्रशासनिक सफलता की कहानी नहीं कहते, बल्कि यह संकेत भी देते हैं कि प्रदेश अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का नया केंद्र बनता जा रहा है।

अब तक राज्य में 14 लाख 82 हजार 865 स्लॉट आरक्षित किए जा चुके हैं। 10 लाख 959 किसानों ने अपनी उपज बेची है। कुल 63 लाख 19 हजार 675 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। राज्य की अधिकतम खरीदी क्षमता 1 करोड़ 22 लाख 28 हजार 122 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। किसानों को अब तक 11 हजार 623 करोड़ 43 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। केवल एक दिन पहले ही *55 हजार 380 किसानों से 4 लाख 86 हजार 368 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। इन आंकड़ों की तुलना यदि अन्य राज्यों से की जाए तो मध्यप्रदेश की



उपलब्धि और अधिक स्पष्ट हो जाती है। पंजाब में इस वर्ष लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और वह अभी भी देश में शीर्ष पर है। हरियाणा में लगभग 70 लाख मीट्रिक टन के आसपास खरीदी हो रही है। राजस्थान का लक्ष्य लगभग 21 लाख मीट्रिक टन है, जबकि उत्तरप्रदेश लगभग 10 लाख मीट्रिक टन के आसपास है। बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सरकारी गेहूं खरीदी बेहद सीमित है। स्पष्ट है कि पंजाब के बाद यदि कोई राज्य सबसे तेजी से अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है तो वह मध्यप्रदेश है।

पहले केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के लिए 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के लगातार प्रयासों के बाद यह लक्ष्य बढ़ाकर एक करोड़ मीट्रिक टन कर दिया गया। यह केवल आंकड़ों में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार को मध्यप्रदेश की कृषि क्षमता और यहां की खरीदी व्यवस्था पर भरोसा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री केवल बैठकों और घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं, वे लगातार खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। खरगौन के कतरगांव से लेकर शाजापुर के मकोड़ी तक उनका अचानक पहुंचना यह संदेश देता है कि सरकार किसान हितों के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं करेगी। अर्थव्यवस्था के लक्ष्य देखी, बादाने की उपलब्धता की समीक्षा की, किसानों से सीधा संवाद किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीदी अवधि बढ़ाने का निर्णय भी इसी संवेदनशीलता को दर्शाता है।

यह सक्रियता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्यप्रदेश वर्ष 2017 के मंदसौर किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव को भूल नहीं सकता। उस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि किसान केवल घोषणाओं से संतुष्ट नहीं होता। उसे समय पर खरीदी, समय पर भुगतान और सम्मानजनक व्यवहार चाहिए। मोदी सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को बढ़ा हुआ खरीदी लक्ष्य दिया जाना और राज्य सरकार की लगातार जमीनी निगरानी यह दर्शाती है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय है। आज जब कई राज्यों में किसान खरीदी व्यवस्था को लेकर शिकायत कर रहे हैं, तब मध्यप्रदेश एक सफल मॉडल के रूप में उभर रहा है। यदि यही गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश केवल देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सरकारी गेहूं खरीदी राज्य भी बन सकता है। यह केवल कृषि क्षेत्र की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व की एक बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक सफलता के रूप में भी दर्ज होगी।

(लेखक राजनैतिक विश्लेषक हैं)

आईटी नियम दूसरा संशोधन, 2026 भारत के डिजिटल शासन की ओर एक बड़ा कदम



वैभव गग्गर/काया वदल

भारत का डिजिटल इकोसिस्टम तेजी से विकसित हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब लोगों के संवाद करने और जानकारी तक पहुंचाने के तरीकों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इसने जवाबदेही और ऑनलाइन नुकसान को लेकर नई चुनौतियां भी पैदा की हैं और

मौजूदा नियामक व्यवस्था को तदनुसार विकसित होने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में किए जाने वाले प्रस्तावित बदलाव, जो 30 मार्च, 2026 को प्रकाशित किए गए हैं, भारत की डिजिटल नियामक व्यवस्था में प्रक्रिया से जुड़ी कमियां को दूर करने के लिए एक बड़े कदम को प्रतिबिंबित करते हैं। इस मसौदा संशोधनों का उद्देश्य भाग के तहत मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण, परामर्श और दिशा-निर्देशों के अनुरूप मध्यस्थों के अनुपालन को मजबूत करना और भाग के तहत डिजिटल मीडिया से संबंधित कंटेंट नियमन व्यवस्था की नियामक निगरानी के प्रभाव को बढ़ाना है।

संशोधन, नियम 3(1)(जी) और 3(1)(एच) के तहत डेटा रखावस्था की जिम्मेदारियों के संबंध में स्पष्टीकरण है। प्रस्तावित संशोधन स्पष्ट करता है कि रखावस्था आवश्यकताओं से जुड़े नियम, अन्य लागू कानूनों के तहत निर्धारित जिम्मेदारियों के अतिरिक्त है। इससे वह अस्पष्टता दूर होती है जिसने कभी-कभी मध्यस्थों को अलग-अलग या न्यूनतम अनुपालन दृष्टिकोणों आपनाने की अनुमति दी है। आईटी अधिनियम डिजिटल प्लेटफॉर्म को अकेले काम करने की अनुमति नहीं देता। उन्हें आनुवांशिक प्रक्रिया कानून, वित्तीय नियम और केवल उनके उद्योग पर लागू होने वाले नियमों का भी पालन करना होता है। इस अर्थ में, यह स्पष्टीकरण अर्थपूर्ण और आवश्यक है, क्योंकि यह कि संशोधन रखावस्था से संबंधित है, पहुंच से नहीं। ऐसे डेटा का खुलासा कानूनी प्रक्रियाओं और साविकिध सुरक्षा के अधीन रहता है। हालांकि इस प्रकार की एक सामान्य संरक्षण धारा को इस रूप में पढ़ा जा सकता है कि यह उकसाने वाली, अतिव्यापी या यहाँ तक कि मध्यस्थों द्वारा उपलब्धता डेटा के अतिरिक्तलीन रखावस्था के बारे में है, क्योंकि डिजिटल कानूनी दस्तावेज आवश्यकता, उद्देश्य की सीमा या अनुपातिकता का संदर्भ दिए बिना ही ऐसी शर्तें लागू करते हैं। ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है, यदि भविष्य में ऐसी चिंता सामने आती है।

दूसरा, प्रस्तावित नियम 3(4) को जोड़ना है, जो मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श, स्पष्टीकरण और मानक संग्रहण प्रक्रियाओं (एसओपी) को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत दायित्वपूर्ण कर्तव्यों के रूप में बाध्यकारी बनाता है। नियमों की धारा 79 से मध्यस्थों को तीसरे पक्ष के कंटेंट की जिम्मेदारी के लिए एक सर्वात 'सुरक्षित टिकाना' मिल गया था, बशर्त कि वे उचित प्रक्रिया का पालन करें और गैरकानूनी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग न लें। बड़े पैमाने पर अनुपयोगिक और कंटेंट पर नजर रखने से बचाने के लिए यह मध्यस्थों के लिए एक ढाल के रूप में काम करता था। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघान बानाम भारत संघ मामले में कहा कि 'सुरक्षित टिकाना' परंपरागत रूप से मध्यस्थों को तीसरे पक्ष के कंटेंट के लिए जिम्मेदार उद्धार जाने से बचाता रहा है, जब तक कि वे अवैध गतिविधियों के 'वास्तविक ज्ञान' पर कार्रवाई करते हैं। इस सिद्धांत ने प्लेटफॉर्मों को जानकारी के प्रवाह में तटस्थ बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

लेकिन तब से डिजिटल इकोसिस्टम बहुत बदल गया है। प्लेटफॉर्म अब केवल निष्क्रिय मध्यस्थ नहीं हैं, उनके आकार और एल्गोरिथम उपयोग करने की उनकी क्षमता ने ऑनलाइन नुकसान और लोगों को प्रभावित करने के तरीकों को बदल दिया है। इस स्थिति में, केवल न्यायालय के आदेश या औपचारिक नोटिस पर प्रतिक्रिया देने वाला मॉडल धीरे-धीरे अप्रभावी हो जाता है। नियम 3(4) शासन को अधिक लचीला बनाकर इस कमी को दूर करता है। यह कंटेंट हटाने के लिए कानूनी आदेशों की आवश्यकता को खत्म नहीं करता, इसके बजाय, यह धारकीर उपकरणों के माध्यम से, समग्र रूप से प्लेटफॉर्मों के कार्य करने के तरीके को निर्देशित करने का प्रयास करता है। संभावित अतिशयोक्ति के बारे में वैध चिंताएं हैं, लेकिन तथ्य यह है कि सुरक्षित टिकाना शर्तों पर आधारित है, इसका हमेशा मतलब रहा है कि उचित कार्रवाई मानक बदल सकते हैं। चीजों को और अधिक वैध बनाने के लिए, यह समझदारी होगी कि इस प्रकार की सलाह और एसओपी पारदर्शिक के उपायों के साथ जारी किये जाएँ, जैसे प्रकाशन, अच्छी तरह से सोचा गया कारण, और यदि संभव हो तो, हितधारकों से परामर्श।

तीसरे, संशोधन प्रस्तावित करता है कि नियम 8.1 की उपधारा को इस तरह बदल दिया जाए कि भाग के नियम 14, 15 और 16 न केवल प्रकाशकों पर लागू हों बल्कि मध्यस्थों पर और उपयोज्यकर्ताओं द्वारा मध्यस्थों के कंप्यूटर संसाधनों पर प्रकाशित समाचार और समसामयिक वृत्त मध्यस्थ कंटेंट पर भी लागू हों, जो प्रकाशक नहीं हैं। 'उपयोगकर्ता' और 'प्रकाशक' के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं है।

